



Scan to Pay



# आगरा विकास प्राधिकरण

## Allotment Letter आवंटन पत्र

RERA QR  
CODE

UPRERAJ

<https://www.up-rera.in>

Collection Account No. \_\_\_\_\_ IFSC: \_\_\_\_\_

Complete Branch Address: \_\_\_\_\_

Launch Date: \_\_\_\_\_

पत्रांक -----/सम्पत्ति/-----

दिनांक \_\_\_\_\_

प्रेषक,

प्रभारी सम्पत्ति,  
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

सेवा में,

सर्वश्री/श्रीमती/कुं :  
पुत्र/पति :  
निवासी :  
मो० नं० :

विषय: ----- योजना में संपत्ति संख्या \_\_\_\_\_, श्रेणी \_\_\_\_\_, के आवंटन के संबंध में (\_\_\_\_\_)।

महोदय/महोदया,

**Property Code :** \_\_\_\_\_ (इस आईडी को प्राधिकरण से पत्र व्यवहार के समय अवश्य प्रयोग करें।)

आपके द्वारा आवेदन संख्या: \_\_\_\_\_ के साथ पंजीकरण धनराशि रू ₹ \_\_\_\_\_/- (\_\_\_\_\_) प्राधिकरण कोष में जमा की गई थी। दिनांक \_\_\_\_\_ को लॉटरी ड्रा में उक्त सम्पत्ति आपके पक्ष में आवंटित की जाती है। सम्पत्ति का अनुमानित क्षेत्रफल \_\_\_\_\_ वर्ग मी० है। सम्पत्ति का बेसिक अनुमानित मूल्य \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) है। अतएव उक्त संपत्ति की अवशेष धनराशि निम्न विवरण के अनुसार आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में [pms.adaagraserVICES.org](https://pms.adaagraserVICES.org) पर ऑनलाइन अथवा RTGS/NEFT चालान के माध्यम से निम्न प्रकार जमा करानी होगी :-

क्रमांक	विवरण	धनराशि	देय तिथि
1	भूखंड का मूल्य		
	जमा पंजीकरण धनराशि		
	अवशेष धनराशि		
2	आवंटन धनराशि (पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुए)		
3	किस्तों के आधार पर अवशेष धनराशि रू _____ पर किस्तों में (____ प्रतिशत ब्याज सहित)		से प्रारम्भ

#Sr.	Last Due Date	Principal	Interest	Installment
1	किस्त-1			
2	किस्त-2			
<b>Total</b>				

**शर्तें :-**

1. यदि आवंटित भूखंड कार्नर का है या पार्क फेसिंग है या 18 मी० या उससे अधिक चौड़ी सडक पर है तो भूखंड मूल्य पर प्रत्येक श्रेणी अनुसार \_\_\_\_\_ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा ।
2. यदि आवंटित भूखंड कार्नर का है तथा पार्क फेसिंग है तथा 18 मी० या उससे अधिक चौड़ी सडक पर है (भूखंड उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में सम्मिलित हो) तो भूखंड मूल्य पर \_\_\_\_\_ प्रतिशत शुल्क अतिरिक्त देय होगा ।
3. भूखंड मूल्य पर उपरोक्तानुसार कार्नर/ पार्क फेसिंग/ 18 मी० या उससे अधिक चौड़ी सडक शुल्क सहित \_\_\_\_\_% फ्री-होल्ड के साथ अन्य शुल्क \_\_\_\_\_ रुपए अतिरिक्त देय होगा जिसकी मांग अंतिम किश्त के साथ ही आरोपित होगी, जिसे \_\_\_\_\_ दिवस में यानि \_\_\_\_\_ तक आवंटी को जमा करना अनिवार्य होगा।
4. समस्त नियम एवं शर्तें आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित ही मान्य होंगी।

**प्रभारी संपत्ति  
आगरा विकास प्राधिकरण**

**This is a computer generated document does not require seal or signature.**